उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना

उद्देश्य

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध जनशक्ति एवं सामाजिक पूंजी पर आधारित यह रोजगार योजना ऐसे इच्छुक शिक्षित, अर्द्ध शिक्षित एवं अशिक्षित युवक/युवतियों, पुरूष एवं स्त्रियों को लक्षित करती है जो स्थानीय रूप से स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं।

पात्रता

ग्रामीण परिवार का कोई भी एक वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायतित किसी भी ऋण–सह–अनुदान, स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक एवं अथवा निजी क्षेत्र में नियमित रूप से सेवायोजित न हो, एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक हो।

प्रक्रिया

परियोजना प्रस्ताव के अनुसार चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि के लिये प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति रू0 7000.00 की सीमा तक अनुदान देय होगा। द्वितीय वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि की सफलता पर आधारित अधिकतम रू0 5000.00 का अनुदान दिया जायेगा। तृतीय वर्ष व अन्तिम वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि के सफल संचालन पर अधिकतम रू0 3000.00 का प्रोत्साहन दिया जायेगा। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियो का न्यूनतम 18 व 4 प्रतिशत आरक्षित है कुल में से महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

स्टेक होल्डर

- उत्तराखण्ड के बी.पी.एल./ए0पी0एल0 के अन्तर्गत चिन्हित स्वरोजगारी.
- व्यावसायिक/क्षेत्रीय/सहकारी बैंक.
- ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तरीय कर्मी.
- रेखीय विभाग

मुख्य क्रियाकलाप

- बागवानी
- जड़ीबूटी एवं सगंध पादप कृषिकरण।
- वाणिज्यक कृषि।
- पनचक्की आधारित आर्थिक क्रियाकलाप।
- सूक्ष्म जल विद्युत योजना।

- प्रथम ग्रेडिंग के पश्चात समूहों द्वारा जमा की गई धनराशि का चार गुना अथवा न्यूनतम 5000.00 रू. रिवाल्विंग फण्ड के रूप में तथा बैंकों द्वारा ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।
- समूह हेतु रू. 10000.00 प्रति सदस्य, अधिकतम रू. 1,25,000.00 अनुदान के रूप में (Back ended) देय है। सामान्य जाति के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अथवा रू. 7500.00 जो भी कम हो. अनुसूचिज जाति, जनजाति के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को रू. 10000.00 अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
- परिसम्पत्तियों/ स्वरोजगारियों का बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादन।
- स्वरोजगारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत रू. 1.00 लाख हेतु मात्र 45.00 रू. पांच वर्ष हेतु प्रीमियम पर बीमा किया जाता है।

कार्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र

आवेदन कहाँ करें

विकास खण्ड कार्यालय अथवा सम्बन्धित क्षेत्र की बैंक शाखा में।

अभ्युक्ति

चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को समूहों के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। योजना भारत सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसमें कुछ मानक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हैं।

विस्तृत जानकारी हेतु विकास खण्ड कार्यालयों/बैंक शाखाओं/जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड ग्रामीण स्वरोजगार मिशन

उद्देश्य

ग्रामीण निर्धनों की क्षमता का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना तथा उनकी आय में न्यूनतम 2000.00 रू. मासिक वृद्धि कर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।

पात्रता

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे चिन्हित परिवार. योजना प्रारम्भ वर्ष 2006–07 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित समूहों में से वित्त पोषित किया जायेगा।

प्रक्रिया

बी.पी.एल. के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को समूहों के रूप में गठित करना। समूह द्वारा प्रतिमाह नियमित अन्तराल पर बैठकें की जायेंगी। इन बैठकों में समूहों द्वारा प्रतिमाह निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी, समूहों द्वारा की गई बचत से पारस्परिक लेन–देन किया जायेगा तथा छः माह के बाद प्रथम ग्रेडिंग की जायेगी। प्रथम ग्रेडिंग में सफल होने पर समूह को रिवाल्विंग फण्ड (समूहों की बचत का चार गुना अथवा न्यूनतम रू. 5000.00 एवं अधिकतम रू. 10000.00 अनुदान तथा रू. 15000.00 बैंक ऋण के रूप में कुल रू. 25000.00 की ऋण सीमा निर्धारित की जायेगी) अगले छः माह बाद समूहों की द्वितीय ग्रेडिंग की जायेगी तथा द्वितीय ग्रेडिंग पार करने के पश्चात कौशल वृद्धि प्रशिक्षण एवं समूह द्वारा चयनित क्रियाकलाप हेतु बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जायेगा. योजनान्तर्गत 23 प्रतिशत अनु0जाति/जनजाति, 50 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

स्टेक होल्डर

- बी.पी.एल. के अन्तर्गत चिन्हित स्वरोजगारी.
- व्यावसायिक /क्षेत्रीय/सहकारी बैंक.
- ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तरीय कर्मी.
- रेखीय विभाग
- प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षक
- बीमा कम्पनियां

मुख्य क्रियाकलाप

मुख्य क्रियाकलापों का चयन स्थानीय संसाधनों, अभिरूचि एवं लोगों की दक्षता, सामाजिक पूँजी पर आधारित उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित क्रियाकलापों के आधार पर किया जायेगा।

देय सुविधायें

- स्वरोजगारी को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण।

- शिल्प एवं कारीगरी पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलाप।
- सेवा व्यवसाय।
- अन्य कोई ऐसा क्रियाकलाप अथवा गतिविधि जिसे राज्य सरकार योजना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित करें।

कार्यक्षेत्र

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र

आवेदन कहॉ करें

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड कार्यालय में।

अभ्युक्ति

चिन्हित ग्रामीण परिवारों के व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से स्वरोजगार प्रदान किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है.

विस्तृत जानकारी हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /विकास खण्ड कार्यालयों/ रेखीय विभाग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है।